न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–02/2025

वादी

डायाराम पुत्र नरसींगाराम उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोहिडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरसींगाराम पुत्र लूंभाराम उम्र 75 वर्ष
2. प्रहलादराम पुत्र नरसींगाराम जातियान मेघवाल निवासी लोहिडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
3. कदनोदेवी पुत्री नरसींगाराम पत्नि भटाराम जाति मेघवाल निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
4. निर्मलादेवी पुत्री नरसींगाराम पत्नि कानाराम जाति मेघवाल निवासी लोहिड़ी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री भंवरलाल सारण वकील वादीगण।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल वकील प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 22.01.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

...में खेत खसरा नम्बर 168/3 रकबा 6.6985 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू-बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा लूम्बाराम के नाम जारी हुआ तथा लूम्बाराम के फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व लूम्बाराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते है। कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक एवं सहदायिकी की भूमि है और वादी अपने दादा लूम्बाराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिकारी है और वादी का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा 1/5 है और वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज है। कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5 (1) राजस्व-6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि " विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उताराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोंनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ-साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो. इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज. काश्त.अधि. की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है।" इसी प्रकार इसी परिपत्र में आगे अंकित किया है कि" यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राज. काश्त अधि. की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है। "विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से वादी विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। कि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध एवं नशेड़ी प्रवृति का व्यक्ति होने से गांव के भूमाफियाओं के प्रभाव के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण भूमाफियाओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 को लालच एवं प्रलोभन देकर व उसको अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादी की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज का बैचान किसी अजनबी क्रेता के पक्ष करदिया है, जिसका प्रक्रियाधीन है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम समस्त भूमि का हस्तान्तरण/वैचान करने पर आमादा है। वादी को उसकी पैतृक व सहदायिकी भूमि से वंचित करना चाहता है तथा वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से हमेशा से महरूम करने पर प्रयासरत है जिस पर वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया जा चुका है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अपनी हठधर्मिता पर आ गया है और वादग्रस्त भूमि बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है व वादी को उसके कब्जा काश्त व

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वासीय ढाणी से बेदखल करना चाहता है। जबकि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पैतृक भूमि होने के कारण व वादी पूर्वज लुम्बाराम के वैध उत्तराधिकारी होने के नाते उतराधिकार अधिनियम के तहत बादी का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हिस्से व कब्जा की भूमि को बेचान व हस्तातरण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने का गलत फायदा उठाकर वादी को उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखकर बेचान व हस्तान्तरण कर दिया गया तो वादी को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि वादी के पास उनके पूर्वजों की उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। कि वादग्रस्त आराजी जिला बाड़मेर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम लोहिडा में खेत खसरा नम्बर 168/3 रकबा 6.6985 हैक्टेयर में वादी का 1/5 हिस्सा पैतृक होने से वादी की खातेदारी की घोषित करते हुऐ वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के हक हिस्सा की भूमि बैचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावें। कि बाद घोषणा वादग्रस्त आराजी में वादी को मिलने वाले हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दंखलअन्दाजी नहीं करें तथा भूमि का बेचान, रहन नहीं करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 बावजूद सम्मन तामिल होने के बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से वकील श्री पाबूराम बेनीवाल ने जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 5 के पैरोकार सरकार उप.। वादी का वाद प्रतिवादी स्वय द्वारा स्वीकार किये जाने से ए तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही और न ही गवाहान तलब किये गये।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बाड़मेर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम लोहिडा में खेत खसरा नम्बर 168꠶3 रकबा 6.6985 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू–बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा लूम्बाराम के नाम जारी हुआ तथा लूम्बाराम के फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व लूम्बाराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते है। कि

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

एवं प्रतिवादीगण की पैतृक एवं सहदायिकी की भूमि है और वादी अपने दादा लूम्बाराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिकारी है और वादी का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा 1/5 है और वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज है। वादी का वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपने दादा के नाम की सम्पति में जन्म से ही अपने दादा के साथ उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हक हिस्सा पैदा हो चुके है, जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से हक हिस्सा पैतृक खातेदारी का है, वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादी का 1/5 हिस्सा है, जिसकी ताईद प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के कथनों में करते हुए वादी के वाद को पूर्णतयाः स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि में अपने–अपने हिस्से तक की भूमि अपनी खातेदारी घोषित करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारिणी है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम लोहिडा में खेत खसरा नम्बर 168/3 रकबा 6.6985 हैक्टेयर में बैचान प्रविष्टि को यथावत रखते हुए कुल रकबे का 1/5 हिस्सा वादी की खातेदारी में करार देते हुए प्रतिवादी सं. 1 के साथ घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी